

61

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)



Rs.

पुनर्स्थापना/रीवा/2017/27/2  
 श्रीमान् श्रीमान् राजस्व मण्डल लिंक कोर्ट रीवा  
 कोर्ट (18-2-17)  
 कोर्ट ऑफ कोर्ट  
 राजस्व मण्डल म0प्र0 मालिका  
 (सर्किट कोर्ट रीवा)

उर्मिला पांडेय पत्नी रामवहाग पांडेय प्रि० नॉट एफ० गार्डियन फिला  
 वा (18-2-17) आवेदिका

विश्वनाथ पत्नी लक्ष्मी माधव पांडेय प्रि० नॉट एफ० गार्डियन फिला  
 बनाम  
 वा (18-2-17) अनावेदक

आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा 35(3) म0प्र0  
 भू-राजस्व संहिता 1959 ई.  
 निरस्त किए जाने अदम पैरवी दिनांक  
 20.07.2017.

मान्यवर,

आवेदन-पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि उक्त उन्मान अपील की पेशी सुनवाई हेतु दिनांक 20.07.2017 को नियत थी, दिनांक 20.07.2017 को आवेदिका के अधिवक्ता बाहर गये थे, जो पेशी समय पर उपस्थित नहीं हुए, इसलिए प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है।
2. यह कि आवेदिका व उसके अधिवक्ता जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं किया है।
3. यह कि आवेदन प्रकरण के पुनर्स्थापना का जो पेश किया जा रहा है, 30 दिवस के भीतर है, जो ग्राह्य किए जाने काबिल है।
4. यह कि प्रकरण की अदम पैरवी निरस्त कर प्रकरण में गुणदोष के आधार पर सुनवाई न हुई तो आवेदिका को अपूर्तनीय क्षति होगी।

अतः विनय है कि न्यायहित में आवेदिका का आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण में अदम पैरवी दिनांक 20.07.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनर्स्थापित किए जाने की कृपा की जाय।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि हस्ताक्षर
<p>19-12-17.</p> <p><u>27/12/17</u></p>	<p>1- साप्ताहिक वेतन दिनांक 27-12-17 विपत्त की गयी।</p> <p>आवेदक आशिष कौर हृदयलाल निवासी उपरिधर / उमडे बा/1 निवेदन किया गया है कि प्रो. R-4227-III/13 दिनांक 10/7/17 को अलग पत्रों में निवेदन किया है। पुनः नया-एल लखनवा की अनुरोध किया गया है।</p> <p>2- आवेदक आशिष कौर का अनुरोध (की) कर - किया जाता है तथा R-4227-III/13 पुनः नया-एल लखनवा के आदेश - दिए जाते हैं। अहमदाबाद सभ्या किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">सिद्ध</p>	<p><u>27/12/17</u></p> <p>14/12/18</p> <p>हृदयलाल लखनवा</p> <p>14-2-18</p>